"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 297] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 नवम्बर 2006—अग्रहायण 3, शक 1928

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-6-24-पंग्राविवि/22/2006.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत तथा ग्रामीण विकास (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1988 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :- -

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची चार में, अनुक्रमांक 3 "क" एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित किया जाय, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3 "क" (1) राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक बार छूट द्वारा भर्ती किये गये अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	उपायुक्त (विकास)	10 वर्ष	तदैव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(2) राज्य लोक सेवा आयोग से सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधे भर्ती किये गये या पदोन्नत अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत.	उपायुक्त (विकास)	5 वर्ष	तदैव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. पी. किण्डो, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2006

क्रमांक एफ-6-24-पंग्राविवि/22/2006.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में पचांयत एवं ग्रामीण विकास विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 के संशोधन अधिसूचना क्रमांक एफ-6-24-पंग्राविवि/22/2006, दिनांक 24-11-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. पी. किण्डो, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 24th November 2006

NOTIFICATION

No. F-6-24-P&RD/22/2006.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Panchayat and Rural Development (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1988, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,—

In Schedule IV, for serial number 3-A and entries relating thereto the following entries shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3-A (1) Additional Assistant Development Commissioner/Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Recruitment by one time relaxation through State Public Service Commission.	Deputy Commissioner (Development)	10 Years	---do---
	(2) Additional Assistant Development Commissioner/Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Recruitment by Civil Service Examination or by promotion through State Public Service Commission.	Deputy Commissioner (Development)	5 Years	---do---

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H. P. KINDO, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.